

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 152/2019

दायर दिनांक: 04/10/2019

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार आयु 44 वर्ष पुत्र बद्रीलाल
2. विमलाबाई आयु 50 वर्ष पुत्री बद्रीलाल
3. उर्मिलाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री बद्रीलाल
4. सुनील कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार
5. अनील कुमार आयु 21 वर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार
6. प्रियका आयु 26 वर्ष पुत्री नरेन्द्र कुमार जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति अहीर निवासी मनोहरपुर तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।


प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश

दिनांक : 31/10/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 82 का ख० न० 386 का रकबा 4.67 है० कुल किता 1 का रकबा 4.67 है० मे प्रतिवादीकम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी श्रीलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीकम 1 को पिता श्रीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण 1 लगायत 3 प्रतिवादीकम 1 की सन्ताने है। व वादीगण 4 लगायत

6 वादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :-



वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/4 ,1/4 बनता है। व वादीगण 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/16,1/16 बनता है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी 24.7.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 25.08.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपत्ति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं

श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

- (अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से मुताबिक हिस्सा वादी-गण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 ,1/4 का व वादीगण 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/16,1/16 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वाके ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू की खाता संख्या 82 की खसरा नं0 386 की 4.67 है0 कुल किता 1 की 4.67 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है, जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादी क्रम 1, 2, 3 का व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 व वादीगण क्रम 4, 5, 6 का हिस्सा 1/16, 1/16 बनता है। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू की खाता संख्या 82 की खसरा नं0 386 की 4.67 है0 आराजी में मुताबिक राजीनामें के अनुसार वादी क्रम 1, 4, 5 को हिस्सा 6/7 का व वादी क्रम 2, 3, 6 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/7 का कृषक खातेदार घोषित किया जावें। वादी क्रम 2 विमला बाई 3 उर्मिला बाई 6 प्रियंका ने व प्रतिवादी क्रम 1 बद्रीलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/7 का हकत्याग वादी क्रम 1 नरेन्द्र कुमार 4 सुनिल कुमार 5 अनिल कुमार के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू की खाता संख्या 82 की खसरा नं0 386 की 4.67 है0 आराजी में मुताबिक राजीनामे अनुसार वादी क्रम 1 नरेन्द्र कुमार 4 सुनिल कुमार

5 अनिल कुमार को हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी क्रम 1, 4, 5 को हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 82 कुल किता 1 का रकबा 4.67 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। वादी क्रम 2 विमला बाई 3 उर्मिला बाई 6 प्रियंका ने व प्रतिवादी क्रम 1 बद्दीलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/7-1/7 का हकत्याग वादी क्रम 1 नरेन्द्र कुमार 4 सुनिल कुमार 5 अनिल कुमार के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रामपुरिया की खाता संख्या 82 कुल किता 1 का रकबा 4.67 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4-1/4 हिस्से व वादीगण 4 ल 6 को 1/16-1/16 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 2, 3, 6 व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/7-1/7 का हकत्याग वादी क्रम 1, 4, 5 के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया, वादी क्रम 1, 4, 5 का हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 152/2019

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार आयु 44 वर्ष पुत्र बद्रीलाल
2. विमलाबाई आयु 50 वर्ष पुत्री बद्रीलाल
3. उर्मिलाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री बद्रीलाल
4. सुनील कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार
5. अनील कुमार आयु 21 वर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार
6. प्रियंका आयु 26 वर्ष पुत्री नरेन्द्र कुमार जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति अहीर निवासी मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रामपुरिया की खाता संख्या 82 कुल किता 1 का रकबा 4.67 है0 में वादी कम 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को 1/4-1/4 हिस्से व वादीगण 4 ल 6 को 1/16-1/16 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी कम 2, 3, 6 व प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/7-1/7 का हकत्याग वादी कम 1, 4, 5 के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया, वादी कम 1, 4, 5 का हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

